Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Ceiling Appeal No.- 220/2021

Yogendra Prasad Sing @ Yogendra Singh & Ors.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	05-06-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत अपील वाद न्यायालय समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा भू—हदबन्दी वाद सं0— 556/1996—97 में दिनांक—12.01.2021 को पारित आदेश के विरूद्ध(U/s 30 of Bihar Land Reforms Fixation Of Ceiling Area and Acquisition of surplus Land) Act, 1961 के अंतर्गत दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित। सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा— महिनाथपुर, थाना सं0— 120, थाना— कोढ़ा, R.S. खाता सं0— 137, सिकमी खाता सं0— 34, खेसरा सं0— 2273, रकवा— 1.06 एकड़ प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत छोटे लाल सिंह की थी। जिस पर विश्वनाथ सिंह शिकमीदार के रूप में दखलकार थे। विश्वनाथ सिंह की मृत्यु पश्चात उनके वारिशान (अपीलार्थी) उस पर दखलकार हुए। छोटे लाल सिंह के विरूद्ध सिलिंग वाद सं0— 833/76—77 प्रारंभ किया गया। गजट सं0— 82/85 द्वारा प्रश्नगत भूमि अधिशेश घोशित करते हुए अधिग्रहित कर लो गई। सत्यनारायण सिंह (उत्तरवादी 05 से 8 के पूर्वज) तथा उत्तरवादी सं0— 9 बद्री नारायण सिंह ने अंचल अमला से मिलकर प्रश्नगत भूमि का लाल कार्ड प्राप्त कर लिया। उक्त घोशित अधिशेश भूमि के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा समाहर्त्ता के समक्ष विविध सिलिंग वाद सं0— 413/92—93 दायर किया गया। जिसमें अंचलाधिकारी कोढ़ा ने पत्रांक— 645, दिनांक— 7.08.2002 द्वारा प्रतिवेदित किया कि विश्वनाथ सिंह शिकमीदार रहे है। जिन्हें प्राथमिकता के आधार पर लाल कार्ड मिलना चाहिए किन्तु विक्रय संलेख के आधार पर नंदराम सिंह (उत्तरावादी सं0—5 से 9 के पूर्वज) के नाम जमाबंदी दर्ज है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा दिनांक—15.03.1994 को आदेश पारित करते हुए निर्गत लालकार्ड को रद्द कर अपीलार्थी के पक्ष में बंदोबस्ती का निदेश दिया गया। उत्तरवादी द्वारा इसके खिलाफ कोई अपील/पुनरीक्षण किसी न्यायालय में दायर नही किया गया। प्रश्नगत भूमि पर Cr.P.C की धारा— 145 के अंतर्गत अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष दायर 182M/92 में दिनांक— 18.11.2002 को अपीलार्थी के पक्ष में आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, कटिहार के समक्ष Criminal Rev No. 154/2002 दायर किया गया, जो दिनांक— 28.02.2004 को खारिज कर दिया गया। उत्तरवादियों द्वारा सिलिंग वाद सं0— 556/1997 पुनः प्रारंभ (Re-Open) करने हेतु समाहर्त्ता के समक्ष धारा—45B के अंतर्गत क्रमशः	

We Copy. Not Official

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **05-6-2024**	आवेदन दायर किया गया जिसमें समाहर्त्ता ने गजट अधिसूचना सं0– 52/1976 को निरस्त करते हुए क्षेत्राधिकार से परे वाद की सुनवाई पुनः प्रारंभ कर दिनांक–12.01.2021 को अपीलार्थी के पक्ष में की गई बंदोवस्ती को रद्द कर दिया गया एवं अपर समाहर्त्ता, कटिहार को एक पक्ष के अंदर उक्त अधिसूचना को विलोपित करने का निदेश दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No.- 5818/2021 दायर किया गया जो दिनांक– 02.03.2021 को वाद वापस लेने के आधार पर खारिज हो गया तब अपीलार्थियों द्वारा बी0एल0टी0 वाद सं0– 151/2021 दायर किया गया जिसमें दिनांक–19.07.2021 को वाद को निरस्त करते हुए सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपोल दायर करने का निदेश दिया गया। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं अवैध है। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1961 की धारा 45B को संशोधित अधिनियम 8/1993 द्वारा विलोपित किये जाने के फलस्वरूप समाहर्त्ता को उपरोक्त सिलिंग वाद पुनः प्रारंभ करने का अधिकार नही था। Bihar Land reforms (Fixation of Ceiling area nd Acquisition of surplus land) Act 1961 की धारा–30 (4) के अंतर्गत भी समाहर्त्ता को अधिकार प्राप्त नहीं है। जिसके आलोक में उन्होंने अपर समाहर्त्ता को उक्त अधिसूचना को विलोपित करने का निदेश दिया। समाहर्त्ता द्वारा क्षेत्राधिकार से परे सिलिंग वाद सं0– 556/1996–97 में आदेश किया गया है। निम्न न्यायालय ने भू–स्वामी छोटे लाल सिंह की सुनवाई नही की है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलार्थी लंबे समय तक दखलकार रहे ह। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा दिनांक– 18.11.2002 को पारित आदेश पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। नंद राम सिंह द्वारा अंचल अमला को मेल में लाकर अपने पक्ष में जमाबंदी दर्ज कराई गई है। उत्तरवादीगण प्रश्नगत भूमि पर कभी दखलकार नही रहे है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोशणीय नही है। प्रश्नगत भूमि उत्तरवादियों की है जो सिंलिंग वाद सं0– 833/1976–77 में अधिसूचना सं0– 226, दिनांक– 08.12.1976 द्वारा मसो0 श्यामा देवी की भूमि को गलत रूप से अधिशेश धोशित किया गया, जबकि श्यामा देवी के परिवार का उक्त भ्मि से कोई संबंध नही है। इनके पति छोटेलाल सिंह द्वारा विक्रय संलेख सं0– 8369, दिनांक– 17.09.1957 द्वारा उत्तरवादी के पूर्वज नंदराम सिंह के पास बिक्री कर दी गई, जिसपर ये दखलकार होकर नामांतरण कराते हुए उनके पक्ष में जमाबंदी सं0– 682 दर्ज है तथा अद्यतन भू–लगान भुगतान कर रहे है। उत्तरवादीगण लगभग 65 वर्शो से अधिक समय से शांतिपूर्वक दखलकार है। सिलिंग वाद सं0– 833/1976 में उत्तरवादीगण न तो पक्षकार है और न ही इन्हें किसी प्रकार की सूचना ही दी गई थी। उक्त सिलिंग वाद (State V/s Shyama Devi(widow of Chhotelal Singh) में कुल 3.54 एकड़ भूमि अधिशेश क्रमशः	

We Copy Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<u>लगातार</u> **05-6-2024**	घोशित करते हुए अधिसूचना सं0– 226, दिनांक–08.12.1976 को प्रकाशित की गई। जिसे अधिसूचना सं0– 52/55 दिनांक– 16.12.1976 द्वारा भूमिहोनों के बीच लालकार्ड के रूप में वितरित किया गया। मसो0 श्यामा देवी द्वारा उक्त भूमि विक्रय संलेख सं0– 8369, दिनांक– 17.09.1957 द्वारा नंदराम सिंह के पास बिक्री की गई। नामांतरण वाद सं0– 140/1969–70 द्वारा इनके पक्ष में जमाबंदी सं0– 682 दर्ज हुई। जिस पर उत्तरवादीगण शांतिपूर्ण दखलकार चले आ रह है। अपीलार्थीगण, जो नंदराम सिंह के चचेरे भाई है ईश्यावश इनके विरूद्ध Cr.P.C की धारा– 144 के अंतर्गत 66M/1992 अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार के समक्ष एवं लालकार्ड के विरूद्ध समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष सिलिंग वाद सं0– 413/1992 दायर किया गया। जिसमें उन्होंने नंदराम सिंह की जगह अपने पक्ष में लालकार्ड निर्गत करने का अनुरोध किया। अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष दायर 66M/1992 में प्रथम पक्ष के विरूद्ध दिनांक– 29.6.1992 को निरपेक्ष तथा द्वितीय पक्ष को रिक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। आवेदक द्वारा उक्त मामले को वाद सं0– 182M/1992 द्वारा Cr.P.C की धारा 145 के अंतर्गत परिवर्तित कराते हुए दिनांक–18.11.2002 को इनके विरूद्ध आदेश पारित करा लिया गया। समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष विचाराधीन सिलिंग वाद सं0– 413/1992 में इनके द्वारा प्रतिउत्तर दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक– 15.03.1994 को समाहर्त्ता द्वारा इनके पक्ष में आदेश पारित करते हुए यह स्पश्ट किया गया कि उत्तरवादी को प्रस्तुत मामले के विचारण हेतु Title Suit दायर करना चाहिए अथवा धारा– 45B सिलिंग अधिनियम के अंतर्गत विक्रय संलेख के आधार पर वाद को पुनः प्रारंभ करते हुए निश्पादन करने हेतु आवेदन दिया जाना चाहिए। उक्त आदेश के विरूद्ध उत्तरवादियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. सं0– 3839/1994 दायर किया गया जिसमें दिनांक– 07.01.1997 को सिलिंग अधिनियम की धारा– 45B के अंतर्गत समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष वाद दायर करने हेतु उक्त याचिका वापस ले ली गई। उक्त के आलोक में उत्तरवादियों द्वारा समाहर्त्ता, कटिहार के समक्ष सिलिंग वाद सं0– 556/1997 दायर किया गया जिसमें समाहर्त्ता ने अपर समाहर्त्ता (भू–हदबन्दी) कटिहार से एक विस्तृत स्थलीय जॉच प्रतिवेदन की मॉग की, जो दिनांक– 30.7.2010 को समाहर्त्ता के समक्ष समर्पित किया गया। जिसमें उन्होंने स्पश्ट उल्लेख किया कि विवादित भूमि पर नंदराम सिंह का लागातार शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है। उक्त वाद के विचारण के दौरान ही नंदराम सिंह की मृत्यु हो जाने के कारण इन उत्तरवादियों को प्रतिस्थापित किया गया। उल्लेखनीय है कि उक्त वाद के विचारण के दौरान अधिसूचना सं0– 710, दिनांक– 02.9.2016 द्वारा राज्य सरकार ने धारा 45B को विलोपित करते हुए नई धारा–30(3) एवं (4) जोड़ा गया। उक्त के आलोक में उत्तरवादियों द्वारा दिनांक– 15.9.20 को एक आवेदन समर्पित करते हुए उक्त वाद को धारा 30 (4) के अंतर्गत परिवर्तित करते हुए सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। जिसे दिनांक– 13.11.2020	

We Copy. Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **05-6-2024**	क्रमशः को स्वीकृत किया गया। फलस्वरूप नया सिलिंग वाद सं0– 2/2020–21 पंजीबद्ध हुआ। समाहर्त्ता, कटिहार ने ज्ञापांक– 1711, दिनांक– 05.12.2020 द्वारा विक्रय संलेख सं0– 8369, दिनांक– 17.9.1957 के संबंध में जिला अवर निबंधक, पूर्णिया से सत्यापन प्रतिवेदन की मॉग की, जिसके आलोक में अवर निबंधक, पूर्णिया ने पत्रांक– 691, दिनांक– 08.12.20 द्वारा उक्त विक्रय संलेख को सत्य प्रतिवेदित किया, जो दिनांक– 22.10.1959 के पूर्व का है। समाहर्त्ता, कटिहार ने अपर समाहर्त्ता के स्थलीय जॉच प्रतिवेदन एवं अवर निबंधक के सत्यापन प्रतिवेदन की समीक्षोपरांत दिनांक– 12.01.21 को मुखर आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No.- 5818/2021 दायर किया गया, जिसे दिनांक– 02.03.2021 को वाद वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया गया। समाहर्त्ता द्वारा अधिसूचना सं0– 37, दिनांक– 09.04.2021 द्वारा सिलिंग अधिनियम की धारा 15(i) के पूर्व के अधिसूचना को रद्द कर दी गई। सिलिंग वाद सं0– 02/20–21 (बद्रो नारायण सिंह एवं अन्य–बनाम– बिहार राज्य) में अधिसूचना सं0– 4/21–22, दिनांक– 17.04.2021 को प्रकाशित की गई, जिसमें प्रश्नगत भूमि पूर्ण रूप से उत्तरवादी के पक्ष में घोशित हुई। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा B.L.T. Case No.- 151/2021 दायर किया गया जो दिनांक– 19.7.2021 को खारिज करते हुए निदेश दिया गया कि एक माह के अन्दर सक्षम प्राधिकार के समक्ष वाद दायर कर सकते है। अपर समाहर्त्ता, कटिहार के ज्ञापांक– 91, दिनांक– 25.08.2021 के आलोक में अंचलाधिकारी कोढ़ा द्वारा प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी उत्तरवादी के पक्ष में दर्ज की गई। प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादियों का शांतिपूर्ण दखल–कब्जा एवं जोत–आबाद है तथा अद्यतन भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। अपीलार्थी का दावा निराधार है। निम्न न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर सम्यक् विचारोपरांत आदेश पारित किया गया है, जो सही है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। उभय पक्षों को सुनने एवं निम्न न्यायालय आदेश तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों के समोक्षोपरांत यह स्पश्ट है कि प्रस्तुत विवाद भू–हदबन्दी अंतर्गत वर्श 1976 में अर्जित होने के उपरांत किये जाने वाली बंदोवस्ती एवं उक्त भूमि का ही वर्श 1957 में हासिल विक्रय संलेख के बीच उत्पन्न है। समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा प्रस्तुत मामले में अपर समाहर्त्ता, कटिहार से सम्यक जॉच प्रतिवेदन की मॉग की गई। साथ ही उत्तरवादी सं0–5 से 7 के पूर्वजों को प्राप्त विक्रय संलेख की जॉच जिला अवर निबंधक, पूर्णिया से कराई गई। अपर समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा दिनांक– 03.7.2020 द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में स्पश्ट किया है कि कागजातों तथा स्थल जॉच के आलोक मे यह स्पश्ट होता है कि प्रश्नगत भूमि पर आवेदक(इस न्यायालय में उत्तरवादी) का वैधानिक हक है तथा इस पर इनका दखल–कब्जा है। उन्होंने	

We Copy. Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<u>लगातार</u> **05-6-2024**	क्रमशः न्यायहित के रक्षार्थ प्रश्नगत भूमि को भू–अधिनियम के अंतर्गत गलत अर्जन से मुक्त करने एवं नियम विरूद्ध अर्जन हो जाने के कारण विपक्षियों (इस वाद के अपीलकर्त्ता) के साथ निर्गत लाल–कार्ड को रद्द करने की पूरजोर अनुशंसा की गई है। समाहर्त्ता, कटिहार ने अपने आदेश में स्पश्ट उल्लेख किया है कि जिला अवर निबंधक, पूर्णिया के पत्रांक– 691, दिनांक– 8.12.2020 से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है। इन तथ्यों के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्णिया ने अपना स्पश्ट अभिमत दर्ज किया है कि भू–हदबन्दी अधिनियम की धारा–30(4) के अंतर्गत पूर्ण विचारोपरांत अपर समाहर्त्ता भू–हदबन्दी, कटिहार की अनुशंसा स्वीकार करते हुए प्रश्नगत भूमि को अर्जन से मुक्त करने एवं की गई बंदोवस्ती को रद्द कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने अपर समाहर्त्ता, भू–हदबन्दी, कटिहार को एक पक्ष के अन्दर गजट विलोपन का कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश भी दिया है। फलतः उपरोक्त के आलोक में अपर समाहर्त्ता, कटिहार के पत्रांक– 91, दिनांक– 25.8.2021 के आलोक में अंचलाधिकारी, कोढ़ा द्वारा प्रश्नगत भूमि की जमाबंदी उत्तरवादियों के पक्ष में दर्ज है तथा दखलकार होते हुए अद्यतन भू–लगान भुगतान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि उत्तरवादियों के पक्ष में निश्पादित विक्रय संलेख दिनांक– 17.9.1957 का है, जो दिनांक– 22.10.1959 के पूर्व की है। अतः उपर्युक्त के आलोक में समाहर्त्ता, कटिहार द्वारा दिनांक– 12.01.2021 के पारित आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नही पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। निम्न न्यायालय आदेश को विधि–सम्मत एवं न्यायोचित पाते हुए सम्पुश्ट किया जाता है। अपीलार्थीगण को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि पर उत्तरवादी के दखल–कब्जे में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नही करेगे। अपील आवेदन अस्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय सभी मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णियॉ। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

We Copy. Not Official.

We Copy. Not Official.